

13/1/25

वकील रैस्यो स्वै पेशकार लकार उपस्थित
अपीलांत तथा उसके अधिवक्ता जैसे कोई
भी उपस्थित नहीं आया जिनको कई बार
आवाजे लगवायी गयी, किन्तु बार-बार आवाजे
लगवाये जाने के उपरान्त भी अपीलांत या
उसके अधिवक्ता के उपस्थित न्यायालय
नहीं आने से अपील अदम हाजरी अदम
पैरवी में कार्रवाई की जाती है अर्थात् न्याय
न्यायालय की फावली लौटाई जावे। फावली
फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करावे।

जिवा कलेक्टर नरस